[16/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2702]

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक.2702 के प्रश्नांश (ख) का परिशिष्ट "अ"

माननीय विधायक महोदय श्री विजय राघवेन्द्र सिंह

प्रश्न दिनांक 09.03.2022–16.03.2022

डॉ.सर्वेश कुमार लोधी के विरूद्ध वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही विवरण की जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क	वर्ष	डॉ.सर्वेश कुमार लोधी के विरूद्ध शासन/कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने की अद्यतन स्थिति ।	शिकायत प्राप्त होने पर की गई कार्यवाही का विवरण
01.	शिकायत कमांक. डब्ल्यू पी. कमांक 20734/2020	कलेक्टर, पन्ना को डॉ.सर्वेश लोधी के विरूद्ध, श्री अनिल तिवारी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, पन्ना द्वारा प्रेषित शिकायत प्राप्त हुई।	डॉ.सर्वेश कुमार लोधी, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहनगर, जिला पन्ना के विरूद्ध, कलेक्टर, पन्ना को शिकायती पत्र,कमांक.डब्ल्यू पी.क.20734 2020 प्राप्त होने पर, कलेक्टर, पन्ना ने उनके आदेश कमांक.313–314 दिनांक 7.1.21 द्वारा पांच सदस्यीय जांच दल नियुक्त कर,प्रकरण की जांच पूर्ण कराई जाकर, जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। कलेक्टर, पन्ना को जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर,पन्ना ने डॉ.लोधी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने संबंधी निर्देश,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पन्ना को प्रेषित किये, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना ने उनके पत्र कमांक./6766–67/दिनांक. 8.7.21 द्वारा डॉ.लोधी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने संबंधी प्रस्ताव, संचालनालय को प्रेषित किया। डॉ.लोधी के विरूद्ध, विभागीय जांच संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय के ज्ञाप कमांक.1434 दिनांक 01.09.2021 द्वारा डॉ.सर्वेश कुमार लोधी को आरोप पत्रादि जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया। डॉ.लोधी द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया जो संचालनालय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना से उनके पत्र दिनांक 28.09.2021 द्वारा प्राप्त हुआ। डॉ.लोधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोंपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संचालनालय के आदेश कमांक.2129/दिनांक 13.12.2021 द्वारा डॉ.लोधी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर,संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर को जांचकर्ता एवं सी.एम.एच.ओ.पन्ना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर, डॉ.लोधी के विरूद्ध विभागीय जांच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर से विभागीय जांच प्रतिवेदन अविलंब प्राप्त कर, प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार गुण–दोष के आधार पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाकर, निर्णय लिया जावेगा।

उक्त शिकायत के अतिरिक्त डॉ.सर्वेश कुमार लोधी के विरूद्ध सी.एम.एच.ओ./कलेक्टर,पन्ना एवं संचालनालय में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(डॉ.रुबी खान)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें(म.प्र.)